

कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र

एफ-23
उपखण्ड

प्रेषित :-

चिन्हित प्राधिकारी

.जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार.

महोदय

मैं/हम राजस्थान भू० राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 1992 के अधीन मेरी/ हमारी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। करते हैं। जिसकी विशिष्टयां इसके नीचे दी गई हैं।

1. खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम

सहित तथा पूरा पता।

2. क्या आवेदन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

3. संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए ईस्पित भूमि का ब्यौरा।

1. ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम :-

2- क्या भूमि किसी परिधीय ग्राम में या किसी नगर परिषद/नगर पालिका बोर्ड के स्थापित के भीतर स्थित हैं

3. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक ख0सं० का कुल क्षेत्रफल

टिप्पणी : नवीनतम जमाबन्दी की दो प्रमाणित प्रतिया संलग्न करें।

4. नक्शे में ऐसे क्षेत्र ठीक अवस्थिति उपदर्शित करते

हुए संपरिवर्तन के लिए आवेदित क्षेत्रफल हैक्टर

या वर्ग मीटर में।

टिप्पणी : संपरिवर्तित कराये जाने के लिए ईस्पित भूमि को लाल स्थाही में दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की दो प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

5. संपरिवर्तन का प्रयोजन :-

6. क्या भूमि नगर भूमि अधिकतम सीमा ओर विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आती है।

7. क्या भूमि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा धिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन या राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 के निरसित अध्याय खं के अधीन अधिशेष धोषित की गयी है।

8. क्या भूमि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जनाधीन है।

9. राजस्व ग्राम क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिय प्रयोग के लिए संपरि. नियम 1992 या भूमि

राज्य सरकार द्वारा आवेदन को किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी थी यदि ऐसा है तो आदेश सं0 ओर तारीख बतायें।

10. मास्टर प्लान यदि लागू हो में दर्शित भूमि का उपयोग :-

11. रेल पटरी राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग या किसी अन्य सड़क या ग्रामीण रास्ते से दूरी फीट में

12. आधौगिक प्रयोजन के मामले में ग्राम की बाहरी सीमा से दूर।

13. क्या आवेदन इस नियमो के प्रवृत्त होने से पूर्व किये गये संनिर्माण के नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

14. संदेय प्रीमियम की दर।

15. प्रीमियम का संदाय करने वाले चालान की संख्या ओर तारीख

16. कोई अन्य सुसंगत सूचना ।

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

स्थान :-

तारीख :-

प्राप्ति संख्या :

श्री
खसरा संख्या से ग्राम में के
के परिवर्तन के लिए आवेदन आज अर्थात् को प्राप्त किया ।

तारीख :-

हस्ताक्षर
विहिते प्राधिकारी
(जिला कलक्टर/उपखण्ड प्राधिकारी /तहसीलदार)